

उम्मेद / अनिता रोहिल्ला - 76/2023

10.1.25

पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलाट/रेस्पों.उपस्थित
पीठासीन अधिकारी महोदय आज.....5.0.25
पर है। अतः पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक.....7.0.25
को पेश हो।

7/2/25

पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलाट/रेस्पों.उपस्थित
पीठासीन अधिकारी महोदय आज.....5.0.25
पर है। अतः पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक.....11.2.25
को पेश हो।

11.9.25

पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलाट/रेस्पों.उपस्थित
पीठासीन अधिकारी महोदय आज.....8.1.25
पर है। अतः पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक.....30.1.25
को पेश हो।

30.4.25

पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलाट/रेस्पों.उपस्थित
पीठासीन अधिकारी महोदय आज.....5.0.25
पर है। अतः पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक.....26.5.25
को पेश हो।

26.5.25

पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक संघ ने अ
न्यायिक कार्य स्थागित रखा। पत्रावली पूर्व
आज्ञानुसार दिनांक.....9.7.25 को पेश हो।

9.7.25

पत्रावली पेश वकील अपीलाट को पूर्व पेशी पर हिदायत दी गई थी कि
आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रेस्पोंडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें
अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज
कर दी जाएगी। आज दिनांक तक अपीलाट में रेस्पोंडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस
पेश नहीं किये गये हैं इससे स्पष्ट है कि अपीलाट अपनी अपील के प्रति गम्भीर
नहीं है। फलस्वरूप अपील अपीलाट आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज
की जाती है। निर्णय पर इजलास सुनाया गया। पत्रावली फेरल सुमार होकर नम्बर
से कम होकर बाल तन्तीन तकमीन दायित्व दफन हो।

अनिल कुमार IIRAS
भू-प्रवन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प इन्डन्)

